

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम मन्दासरा..... के खाता सं.....183..... खसरा नं..... में आवेदन

पत्र अनुसार सुजाशम हनुमान पुत्र सुरजकर के स्थान पर हनुमान पुत्र सुरजकर शक्ति किराे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प मन्दासरा हनुमान ग्राम पंचायत मन्दासरा में दिनांक 13/10/25 को मजमेआम में सुनाया गया।

फागी
अधिकारी फागी
जिला